गिरिराज बनाम भोजराज

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या : 2019/266

13.02.2023	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट के कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजी जिसका खाता सं0 30 खसरा नंबर 271 की रकबा 0.27 है०, खसरा नंबर 770 की रकबा 5.05 है0, खसरा नंबर 771 की रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 828 की रकबा 03.20 है0. कुल किता 4 रकबा 9.6 है0. ग्राम बालदडा तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी मे स्थित है जिस पर प्रार्थी अपीलांट लंबे समय से काबिज व मालिक चला आ रहा है तथा प्रार्थी अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए अप्रार्थीगण रेस्पो. द्वारा एक वाद पत्र पेश कर मिलीभगत करके न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पाटन के यहां से डिक्री करवा लिया था तत्पश्चात प्रार्थी अपीलांट द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28–3–2017 के विरुद्ध अपील पेश की गयी साथ में स्थगन आवेदन भी पेश किया गया जिसका क्रमांक 190/2019 है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 7–6–2019 को स्थगन आदेश पर सुनते हुए विवादित कृषि आराजी के संबध मे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए थे। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बावजूद भी उपरोक्त संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण रेस्पो. ने ट्रेक्टर डालकर संपत्ति को हांक दिया। इसके संबन्ध मे एक आवेदन थानाधिकारी गेण्ड़ोली एवं पुलिस अधीक्षक बूंदी को दिया गया जिस पर पुलिस थाना गेण्डोली द्वारा एफआईआर नंबर 148/2019 धारा 447,427 आई पी सी दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण रेस्पो. ने प्रार्थी अपीलांट के कब्जेशुदा संपत्ति मे बोयी गयी सोयाबीन की फसल को हांक कर नष्ट कर दिया। जिससे प्रार्थी अपीलांट को काफी नुकसान हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण रेस्पो. द्वारा मुझ प्रार्थी अपीलांट की कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजी को न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी हांक कर नष्ट किया है तथा पुनः कृषि करने से रोक रहे है। इस प्रकार अप्रार्थीगण रेस्पो. द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2019 की अवहेलना की है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण रेस्पो. को सजा व जुर्माने से दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थीगण रेस्पो. की संपति को कुर्क किया जावे। अप्रार्थी कम 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रारम्भ से ही प्रतिपक्षी–2 का कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षी क्रम–2 का वाद प्रतिपक्षी क्रम–1 के विरुद्ध विधि सम्मत रूप से दिनांक 28.03.2017 को डिक्री हुआ है । विवादित भूमि पर प्रारम्भ से ही प्रतिपक्षी क्रम–2 का कब्जा रहा है। इसलिये किसी फसल का हांककर नष्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आज भी विवादित आराजी पर प्रतिपक्षी क्रम–2

अवमाननना प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सिद्ध करने के सम्बन्ध में कोई ठोस लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं । अप्रार्थी को प्रश्नगत निर्णय की कब जानकारी हुई ? प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 07.06.2019 पर अंकित है कि, "अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया । बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट कम 01 की सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । अतः अदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी दिनांक 19.07.2019 तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोराय पाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 98/2016 के निर्णय दिनांक 28.03.2017 की वादग्रस्त आराजी में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जावे । सम्मन रेस्पोडेन्ट 2 रजिस्ट एडी पेश होने पर नकल जारी हो । रिकॉर्ड तलब हो पत्रावली दिनांक 19.07.2019 को पेश हो ।" प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । केवल एक एफआईआर की फोटो प्रति प्रस्तुत की है । उक्त एफआईआर में क्या कार्यवाही हुई, अथवा उसमें क्या फाइडिंग रही, वह भी प्रस्तुत नहीं है । स्वयं प्रार्थी के कोई बयान या अन्य किसी गवाह के कोई बयान आदि भी नहीं करवाए गऐ । प्रार्थी ने कोई सशपथ बयान प्रस्तुत नहीं किये हैं । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को सिद्ध करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करना होता है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी स्वयं का प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहा है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा